



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062021-227903
CG-DL-E-26062021-227903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2374]
No. 2374]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2561(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए असम राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग न.३९ के कि.मी. ३०.१२० से कि.मी. ३०.४२० (ऑफिस ऑफ दी डिप्टी कमिश्नर, गोलाघाट) तक के पेवड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (लैंड एक्वीजिशन), गोलाघाट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश

अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य के, गोलाघाट (NH-39) के कि. मी 30.120 से 30.420 (ऑफिस ऑफ दी डिप्टी कमिश्नर, गोलाघाट) तक के पेवड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु आर्जन की जाने वाली संरक्षण रहित अथवा संरक्षण सहित भूमि का संछिप्त विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: गोलाघाट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मोरोंगी					
गांव का नाम: २ नो. रंगाजान ग्रांट					
1	167	निजी	चाय टोली	0.0113000(हेक्टेयर)	0.0113000
2	168	निजी	चाय टोली	0.0113000(हेक्टेयर)	0.0113000
3	170	निजी	चाय टोली	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
4	220	निजी	चाय टोली	0.0087000(हेक्टेयर)	0.0087000
5	223	निजी	चाय टोली	0.0274000(हेक्टेयर)	0.0274000
6	225	निजी	चाय टोली	0.0274000(हेक्टेयर)	0.0274000
7	240	निजी	चाय टोली	0.0127000(हेक्टेयर)	0.0127000
8	243	निजी	चाय टोली	0.0154000(हेक्टेयर)	0.0154000
9	250	निजी	चाय टोली	0.0046000(हेक्टेयर)	0.0046000
10	251	निजी	चाय टोली	0.0113000(हेक्टेयर)	0.0113000
11	252	निजी	चाय टोली	0.0127000(हेक्टेयर)	0.0127000
12	253	निजी	चाय टोली	0.0127000(हेक्टेयर)	0.0127000
13	254	निजी	चाय टोली	0.0194000(हेक्टेयर)	0.0194000
14	255	सरकारी	चाय टोली	0.0289000(हेक्टेयर)	0.0289000
15	256	निजी	चाय टोली	0.0154000(हेक्टेयर)	0.0154000
16	258	निजी	चाय टोली	0.0113000(हेक्टेयर)	0.0113000

17	259	निजी	चाय टोली	0.0113000(हेक्टेयर)	0.0113000
18	261	निजी	चाय टोली	0.0154000(हेक्टेयर)	0.0154000
19	262	निजी	चाय टोली	0.0247000(हेक्टेयर)	0.0247000
20	263	निजी	कमर्शियल	0.0261000(हेक्टेयर)	0.0261000
21	265	निजी	चाय टोली	0.0220000(हेक्टेयर)	0.0220000
22	573	निजी	चाय टोली	0.0113000(हेक्टेयर)	0.0113000
23	574	निजी	चाय टोली	0.0087000(हेक्टेयर)	0.0087000
कुल				0.3600	0.3600

[फा. सं. NH-12012/15/2020/AS/Zone-V/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2021

S.O. 2561(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km 30.120 to Km 30.420 of office of the Deputy Commissioner, Golaghat (NH39), in the state of ASSAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy commissioner (Land Acquisition), Golaghat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km 30.120 to Km 30.420 of office of the Deputy Commissioner, Golaghat (NH39) in the State of ASSAM.

State: ASSAM District: GOLAGHAT					
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Morongi					
Village: No. 2 Rangajan Grant					
1	167	Private	Chah Toli	0.0113000(Hectare)	0.0113000
2	168	Private	Chah Toli	0.0113000(Hectare)	0.0113000
3	170	Private	Chah Toli	0.0100000(Hectare)	0.0100000
4	220	Private	Chah Toli	0.0087000(Hectare)	0.0087000
5	223	Private	Chah Toli	0.0274000(Hectare)	0.0274000
6	225	Private	Chah Toli	0.0274000(Hectare)	0.0274000
7	240	Private	Chah Toli	0.0127000(Hectare)	0.0127000
8	243	Private	Chah Toli	0.0154000(Hectare)	0.0154000
9	250	Private	Chah Toli	0.0046000(Hectare)	0.0046000
10	251	Private	Chah Toli	0.0113000(Hectare)	0.0113000
11	252	Private	Chah Toli	0.0127000(Hectare)	0.0127000
12	253	Private	Chah Toli	0.0127000(Hectare)	0.0127000
13	254	Private	Chah Toli	0.0194000(Hectare)	0.0194000
14	255	Government	Chah Toli	0.0289000(Hectare)	0.0289000
15	256	Private	Chah Toli	0.0154000(Hectare)	0.0154000
16	258	Private	Chah Toli	0.0113000(Hectare)	0.0113000
17	259	Private	Chah Toli	0.0113000(Hectare)	0.0113000
18	261	Private	Chah Toli	0.0154000(Hectare)	0.0154000
19	262	Private	Chah Toli	0.0247000(Hectare)	0.0247000
20	263	Private	Commercial	0.0261000(Hectare)	0.0261000
21	265	Private	Chah Toli	0.0220000(Hectare)	0.0220000
22	573	Private	Chah Toli	0.0113000(Hectare)	0.0113000

23	574	Private	Chah Toli	0.0087000(Hectare)	0.0087000
Total				0.3600	0.3600

[F. No. NH-12012/15/2020/AS/Zone-V/3A]

RAJESH GUPTA, Director